रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032021-226224
CG-DL-E-30032021-226224

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 2021/चैत्र 8, 1943
No. 171] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 2021/CHAITRA 8, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

सा.का.नि. 220 (अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 के खंड (क), खंड (घ) और खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... .. संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में यथा निहित के अलावा, ये नियम 1 अक्टूबर, 2021 से प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियमों में, नियम 51 के पश्चात निम्नलिखित नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्: -

"**51क. मोटर वाहन कर में रियायत -** यदि वाहन "वाहन स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने के एवज में पंजीकृत है, तो मोटर वाहन कर में रियायत -

(i) गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पच्चीस प्रतिशत तक; तथा

(ii) परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह प्रतिशत तक होगी ।

यह रियायत परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक और गैर परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह वर्ष तक उपलब्ध होगी। दोनों मामलों में, इन अवधियों की गणना पहले पंजीकरण की तारीख से की जाएगी;

बशर्ते कि परिवहन वाहनों के मोटर यान पर आठ वर्ष बाद और गैर परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह वर्ष बाद कर में कोई रियायत नहीं होगी। दोनों मामलों में, इन अवधियों की गणना पहले पंजीकरण की तारीख से की जाएगी।

[**स्पष्टीकरण:** इस नियम के प्रयोजनार्थ, "वाहन स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र" का तात्पर्य पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) द्वारा वाहन की स्क्रैपिंग के बाद वाहन के स्वामी को जारी किया प्रमाण पत्र होगा और यह लेन-देन किए जाने योग्य होगा।"

[सं. आरटी-23013/7/2021-टी]
अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 590(अ), दिनांक 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.......(अ), दिनांक...... के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2021

G.S.R. 220(E).—The following draft rule further amends the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (a), clause (d) and clause (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988). It is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001, Email: comments-morth@gov.in

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (………………. Amendment) Rules, 2021.

(2)Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from 1st day of October, 2021.

2. In the said rules, after Rule 51, the following rule shall be inserted, namely: -

"**51A. Concession in motor vehicle tax.** - In case the vehicle is registered against submission of "Certificate of vehicle scrapping", the concession in the motor vehicle tax shall be-

(i) upto twenty five percent, in case of non-transport vehicles; and

(ii)upto fifteen percent, in case of transport vehicles.

This concession will be available upto eight years, in case of transport vehicles, and upto fifteen years, in case of non transport vehicles. In both cases, these periods will be reckoned from the date of first registration;

Provided that there shall be no concession in the motor vehicle tax of transport vehicles, after eight years; and, in case of non transport vehicles, after fifteen years. In both cases, these periods will be reckoned from the date of first registration.

[**Explanation:** For the purpose of this rule, "Certificate of vehicle scrapping" shall mean a certificate issued by the Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) to the vehicle owner after scrapping of the vehicle and shall be tradable.]".

[RT-23013/7/2021-T]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R ………..(E), dated ……………………………………..

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.03.30 12:57:11 +05'30'